न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

अधिग्रहण वाद संख्या– 76/2009–10

राज्य बनाम मै0 शिवशक्ति किरोसीन एजेन्सी एवं बच्चा दास

आदेश

14-7-14

प्रस्तुत अधिग्रहण वाद अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा 704 गो0 दिनांक– 14.05.2009 से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में प्रारंभ किया गया।

आरोप है कि दिनांक– 12.04.2009 को गुप्त सूचना के आधार पर महपुरा घाट पर की गयी छापामारी में 13 ड्राम में 2600 एवं एक ड्राम में 100 लीटर कुल 2700 लीटर किरासन तेल जप्त किया गया। जप्त किरासन तेल मेसर्स शिवशक्ति किरोसिन एजेन्सी, थौक किरासन तेल विक्रेता सतरवार, गोरहो घाट प्रो0– मुरारी सिंह, पिता– सदानन्द सिंह, ग्राम– रौतावंशी, थाना– सौरबाजार तथा श्री बच्चा दास, पिता– स्व0 कोकन दास, साकिन– महिषी जन वितरण प्रणाली विक्रेता, महिषी का बतलाया गया है। जप्त किरासन तेल की जप्ती सूची तैयार कर इसे मो० सलीम, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, नहरवार के जिम्मे सुरक्षित रख आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा– 7 ई०सी० एक्ट के तहत महिषी थाना में काण्ड संख्या– 52/09 दिनांक– 09.05.09 दर्ज करायी गयी है।

प्रतिवादी मेसर्स शिवशक्ति किरोसिनं एजेन्सी, थौक किरासन तेल विक्रेता सतरवार, गोरहो घाट प्रो0– मुरारी सिंह, तथा श्री बच्चा दास जन वितरण प्रणाली विक्रेता, महिषी को नोटिश निर्गत कर कारण–पृच्छा की मांग की गयी । प्रतिवादी मेसर्स शिवशक्ति किरोसिन एजेन्सी, थौक किरासन तेल विक्रेता सतरवार, गोरहो घाट प्रो0– मुरारी सिंह ने कारण पृच्छा दाखिल की जिसके माध्यम से उन्होंने कहा है कि उक्त बरामद किये गये किरासन तेल से विपक्षी को कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि वह न तो विपक्षी के पास से बरामद हुआ है और न उक्त किरासन तेल विपक्षी के द्वारा किसी को आपूर्ति हीं किया गया है। विपक्षी को उक्त बरामद किरासन तेल से कोई वास्ता नहीं है। परन्तु श्री बच्चा दास जन वितरण प्रणाली विक्रेता, महिषी ने काफी विलम्ब से दिनांक– 24.05.2010 को कारण–पृच्छा दाखिल कर कहा है कि वे जप्त किरासन तेल से कोई ताल्लुकात या मतलब नहीं और न उक्त किरासन तेल विपक्षी के पास से बरामद नहीं हुआ है। किरासन तेल जप्ती के उपरान्त विपक्षी के दूकान का निरीक्षण प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, महिषी द्वारा किया गया और उन्होंने दुकान में कोई अनियमितता नहीं पाया है और दिनांक– 11.04.2009 को विपक्षी द्वारा 5 ड्राम तेल कुल 1014 लीटर का उठाव किया गया था, जिसमें मात्र 3 लीटर एक लाभुक को कुपन के आधार पर दिया गया और बांकी 1011 लीटर किरासन तेल विपक्षी के भंडार में उपलब्ध पाया गया। जप्त किये गये किरासन तेल से कोई संबंध प्रमाणित नहीं होता है।

14.7.14

राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक को सुना। प्रतिपक्षी अनुपस्थित। अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। प्रतिवादी मेसर्स शिवशक्ति किरोसीन एजेन्सी, प्रो०– श्री मुरारी सिंह एवं जन वितरण प्रणाली विक्रेता, श्री बच्चा दास के द्वारा जप्त किरासन तेल से कोई ताल्लुकात नहीं होना बताया गया है।

अतः अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा से प्राप्त अधिग्रहण प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुए जप्त किरासन तेल को अधिग्रहित किया जाता है। अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा को निदेशित किया जाता है कि जप्त किरासन तेल जन वितरण प्रणाली दूकान के माध्यम से सरकारी दर पर विक्री करवाकर राशि कोषागार में उचित शीर्ष अन्तर्गत जमा करवाना सुनिश्चित करें। इस निदेश के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

समाहर्त्ता,
सहरसा।

समाहर्त्ता,
सहरसा।

ज्ञापांक 1427-2 /जिला विधि, सहरसा, दिनांक– 16 वीं जुलाई, 2014 ई.।

प्रतिलिपि– मूल अभिलेख संलग्न करते हुए अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सहरसा जिला के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

16/7/14

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।

16/7/14

4
17/7